क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय-बिहार, पंचदीप भवन,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-800001
Tel: 0612-25211928, Fax: 0612-2533314
E-mail: rd-bihar@esic.nic.in
Website: www.esic.gov.in / www.esic.in

प्रेस विज्ञप्ति

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आश्रित हितलाभ का भुगतान

पटना, दिनांक : 09/07/2024

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बिहार क्षेत्र के **क्षेत्रीय निदेशक , श्री संजय कुमार** द्वारा सादे समारोह में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में मेसर्स आर. एम. एस. टेक्नो सॉल्यूशन (इंडिया) प्रा. लि. के माध्यम से बीमित श्री वीरेन्द्र साह बस चालक के पद पर संविदा पर नियुक्त थे जिनकी मृत्यु रोजगार चोट के दौरान होने के उपरांत उनकी आश्रिता पत्नी आभा देवी एवं पुत्र राजन कुमार व अमित कुमार तथा पुत्री रौशनी कुमारी व पूजा कुमारी को आश्रित हितलाभ प्रदान हितलाभ प्रदान प्रदान किया गया और संवेदना व्यक्त की गयी|प्रदान किया गया और संवेदना व्यक्त की गयी|

स्व. वीरेन्द्र साह की मृत्यु कार्य के दौरान रोजगार चोट के कारण हुई थी| वे परिवार में अकेले कमानेवाले थे|स्व. वीरेंद्र साह की मृत्यु कार्य के दौरान रोजगार चोट के कारण हुई थी | वे परिवार में अकेले कमाने वाले थे व परिवार पूर्णतः आर्थिक रूप से उन पर निर्भर था| नियोजक द्वारा दुर्घटना रिपोर्ट भेजे जाने के पश्चात इसकी जाँच की गयी तथा ई०एस०आई०सी० द्वारा आश्रितों के लिए मासिक पेंशन स्वीकृत किया गया, क्योंकि उनकी मृत्यु कार्य के दौरान दुर्घटना में हुई थी|

उल्लेखनीय है कि कार्यस्थल पर कार्य के दौरान या कार्यस्थल जाने या वहां से घर जाने के दौरान किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना या दुर्घटना में ई०एस०आई० सी० में बीमित कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित परिवारजनों को ई० एस० आई० योजना में वेतन का 90% तक मासिक आश्रित पेंशन दिया जाता है ।

क्षेत्रीय निदेशक